FORB Learning Platform

स्क्रिप्ट: धर्म या विश्वास की आज़ादी : अपने धर्म या विश्वास को मानने या बदलने का अधिकार

धर्म या विश्वास की आज़ादी की पहली बुनियादी बात यह है कि आपको अपने धर्म या विश्वास को स्वतंत्र रूप से मानने, रखने, बदलने या छोड़ने का अधिकार है। यह आपकी व्यक्तिगत आस्थाओं के बारे में है, और इसे धर्म या विश्वास की आज़ादी के अंदरूनी आयाम के रूप में जाना जाता है। अपने धर्म या विश्वासों को मानने या बदलने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है, जिसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, इस अधिकार को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता। चाहें आप ईसाई, मुसलमान, बहाई, येजिदी या नास्तिक ही क्यों न हों, भले ही आप सिंगापुर, स्वीडन या सूडान में रहते हों, चाहे वहां शांति हो या युद्ध हो, धार्मिक या राजनीतिक नेता चाहें कुछ भी कहें - आप और हरेक व्यक्ति
को अपने विश्वासों को रखने और देखभाल करने का अधिकार या उन्हें बदलने या फिर एक अविश्वासी बनने का भी अधिकार है।
बेशक कई लोगों को इस असीम अधिकार से वंचित किया जाता है, और उनके धर्म या विश्वास के कारण, सरकारों द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा या उनके समुदाय के समूहों द्वारा उन्हे दंडित या उन पर हमला किया जाता है।
विशेष धर्मों या विश्वासों पर कुछ सरकारें रोक लगाती हैं। फालुन गोंग एक रूप है बौद्ध विश्वास का, जिसे चीन में प्रतिबंधित किया गया है। फालुन गोंग धर्म माननेवालो को कारावास, यातना, बेगारी से प्रताड़ित किया जाता है, और फिर से शिक्षा भी लेनी पड़ती है, जिसका मूल मकसद है कि उन्हें अपने विश्वास को त्यागने के लिए मजबूर किया जा सके।
एरिट्रिया में, केवल चार धर्म हैं, जिनको राज्य की मान्यता प्राप्त है, और जो लोग अमान्यता प्राप्त धर्म के अनुयायी हैं, जैसे पेंटेकोस्टल ईसाई और यहोवा विट्नेस, उनको विभिन्न तौर-तरीकों से कठोर दंड दिया जाता है।

धर्म या विश्वास मानने के अधिकार के उल्लंघन का एक और सूक्ष्म उदाहरण नफरत अपराध हैं, जहां हिंसा के पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान या विश्वास के कारण निशना बनाया जाता है। उन पर हमला किया जाता है क्योंकि वे किसी विशेष धर्म या विश्वास को मानते है। फ्रांस में नफरत अपराधों में, जैसे कि सन 2015 में मुसलमानों पर हमले, उत्पीड़न या अपराधिक नुक्सान में 250% वृद्धि हुई, जिसमें 336 घटनाएं दर्ज की गईं। और यहूदी समुदाय के प्रति नफरत अपराधों का स्तर उंचा जिसमें 715 नफरत अपराध दर्ज किये गये।

मैक्सिको के कुछ ग्रामीण इलाकों में प्रोटेस्टेंट ईसाईयो को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है या उनकी जमीन से उन्हे खदेड़ा जा रहा है, ऐसे समुदाय के अगुवों द्वारा जो परंपरागत और कैथोलिक ईसाई धर्मिकता को बरकरार रखना चाहते हैं ।
कई देशों में, धार्मिक पहचान, राष्ट्रीय पहचान और राज्य की पहचान आपस में से एक दूसरे के साथ जुडी हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में, धार्मिक अल्पसंख्यक और बहुमत धर्म छोड़ने वाले लोगों को, जिसमें नास्तिक शामिल हैं, राष्ट्र के प्रति बेवफ़ा माना जा सकता है, या यहां तक कि उन्हे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी माना जा सकता है।

धर्म या विश्वास त्यागने के असीम अधिकार को अक्सर अंदेखा किया जाता है।

इंडोनेशिया में धर्म की आज़ादी के कानून तो हैं, हालांकि ये कानून केवल कुछ धर्मों के मानने वालों की ही रक्षा करते हैं: जैसे की इस्लाम, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशिवाद और हिंदू धर्म। इसमें नास्तिक धर्म संरक्षित नहीं

है। 30 साल की उम्र के एलेक्स आयन ने, जो मुस्लिम पृष्ठभूमि के हैं, "भगवान मौजूद नहीं है" लिखने और फेसबुक पर नास्तिक पृष्ठ शुरू करने के लिये 2½ साल की जेल की सज़ा काटी और 11,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरा ।

आयन पर धार्मिक नफ़रत या बैर फैलाने की नीयत से जानकारी प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था, जिसने इंटरनेट पर ईश्वर निंदा विषयक एक संदेश फैलाया था, और दूसरों को नास्तिकता अपनाने के लिए आमंत्रित किया था। अपने फेसबुक पेज पर सार्वजनिक माफ़ी पोस्ट करने के बावजूद, आयन को गुस्सैल लोगों ने पीटा और उसके समुदाय ने उसे छोड़ दिया।

ईरान में, इस्लाम से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने पर कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि वे बिना रजिस्ट्री वाले घरों से संचालित गिरजों में शामिल हों। जुलाई 2017 में धर्म परिवर्तन के कारण "राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सक्रियता" के आरोप में चार लोगों को 10 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उनमें से तीन को कम्युनियन वाइन पीने के लिए 80 कोडे लगाये जाने की पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी थी, क्योंकि सरकार अब भी उन्हें मुसलमान मानती है, और ईरान में मुसलमानों के लिए वाइन पीना अवैध है।
अक्सर राजनीतिक और धार्मिक नेता पवित्र ग्रंथों या धार्मिक कानूनी परंपराओं के बारे में खुद अपनी व्याख्याओं का उपयोग बहुमत धर्म को छोड़ने, या किसी विशेष समुह के सद्स्य होने के लिये दंड देने और प्रतिबंध लगाने को न्यायसंगत ठहराने के लिये करते हैं। दंड में मृत्युदंड, कारावास, रोज़गार खोना या शादी तोड़ने से लेकर बच्चों के लालन-पालन का हक खोना तक शामिल हो सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मुस्लिम बहुमत वाले कई देशों में इस्लाम छोड़ने के अधिकार पर ऐसी कानूनी बंदिशें मौजूद हैं। हालांकि इसे टालना असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए, सिएरा लियोन में मुसलमानों की लगभग 70% आबादी है, और ईसाईयों की 20% है. जबकि यहां धर्म बहुत ही सार्वजनिक है, फिर भी

इसका राजनीतिकरण नहीं है; और ऐसे हालात में दोनों समुदायों के बीच आपस मे धर्म परिवर्तन एक आम बात है।

इस तरह की समस्याएं केवल मुस्लिम बहुमत वाले देशों तक ही सीमित नहीं हैं। मध्य अफ़्रीकी गणराज्य के कुछ हिस्सों में, तथाकथित एंटी-बालाका मिलिशिया ने मुस्लिम अल्पसंख्यक सदस्यों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर करने के लिए मौत की धमकी तक का प्रयोग किया है। और भारत के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के अधिकार को प्रतिबंधित करने का कानून है, उदाहरण के लिए जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हे सरकारी एजेंसियों से अनुमति मांगनी पड़्ती हैं।

केवल सरकारें ही नहीं हैं जो इस आधिकार का उल्लंघन करती हैं। भारत में हिंसा के गंभीर प्रकोप भी हुए हैं, जिनमें हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने ईसाई और मुस्लिम समुदायों पर हमले किये हैं। कभी-कभी हिंसा की धमकी देकर पुन: धर्म-परिवर्तन करने को भी मजबूर किया गया है। कई मामलों में, हिंसा से विस्थापित लोगों को अपने घरों में वापस लौटने की अनुमति देने से पहले उन्हे धर्म-परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है।

न केवल धार्मिक लोग ही अकेले समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जो लोग धार्मिक विचारों की आलोचना करते हैं या फिर धर्म और राज्य के बीच संबंधों की, वे भी बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में बांग्लादेश में, धार्मिक विचारों और प्रथाओं और राज्य की आलोचना करने वाले कई ब्लॉगर्स की अतिवादी समूहों द्वारा हत्या कर दी गई। अफसोस की बात तो यह है कि इन हिंसक अतिवादी समूहों को रोकने के प्रयास में बांग्लादेश सरकार अभी तक सफल नहीं हुई है। धार्मिक विचारों की आलोचना करने वाले लोगों पर हमलों की निंदा करने में कुछ सरकारें विफल रही हैं। यह मौन एक संदेश भेजता है कि हिंसा उचित और स्वीकार्य है।

धर्म या विश्वास को बदलने की आज़ादी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही विवादास्पद है। दरअसल, जब भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र

एक नए सम्मेलन या घोषणा पर सहमत हुए हैं तो धर्म परिवर्तन का अधिकार और भी अधिक कमजोर भाषा में व्यक्त किया गया है।

लेकिन, अगर भाषा कमजोर भी हो जाती है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति -- जिसका काम नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों पर अनुबंध की व्याख्या करने के तौर-तरीकों पर देशों को सलाह देना है -- ने कहा है कि "धर्म या विश्वास को मानने और अपनाने की आज़ादी किसी धर्म या विश्वास को चुनने की आज़ादी में शामिल है, जिसमें किसी के मौजूदा धर्म या किसी अन्य के साथ विश्वास को बदलने या नास्तिक विचारों को अपनाने, साथ ही किसी के धर्म या विश्वास को बनाए रखने का अधिकार शामिल है।"
संक्षेप में - अपने धर्म या विश्वास को मानने या बदलने का अधिकार असीम है। इसे किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता है। फ़िर भी कुछ सरकारें इस अधिकार को सीमित करती हैं, और ऐसे कई मामले हैं जिनमें धर्म या विश्वासों को मानने या बदलने के कारण समाज में परिवारों या समूहों ने विभिन्न तरीकों से लोगों को दंडित किया है।
धर्म या विश्वास को मानने और बदलने के अधिकार के बारे में आप अधिक जानकारी हमारे वेबसाइट पर प्रशिक्षण सामग्री में देख सकते हैं, जिनमें वे सभी मानव अधिकार दस्तावेज़ शामिल हैं, जिनका ज़िक्र यहां किया गया है।

Copyright: SMC 2018